राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

न्यायालय संख्या–10

उपस्थितः माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्यायिक)।

याचिका संख्याः 2002/2015

हिम्मत सिंह, पुत्र श्री अमर सिंह, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी–
बी–153, एल्डिको सिटी, आई0एम0 रोड, लखनऊ, वर्तमान तैनाती–
सहायक आयुक्त (इंचार्ज) वाणिज्य कर, मोबाईल स्कावयड, आजमगढ़।

..... याची।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, उ0प्र0 सरकार,
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–1,
सिविल सचिवालय, लखनऊ।

2. आयुक्त, वाणिज्य कर, उ0प्र0, वाणिज्य कर भवन, विभूति
खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

..... विपक्षीगण।

श्री के0के0 पाण्डेय याची के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षीगण की ओर से विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

निर्णय

माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्या0) द्वारा श्रुतलेखित।

याची ने यह याचिका उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत निम्न अनुतोष हेतु प्रस्तुत की हैः–

(i) यह अधिकरण याची के विरूद्व पारित परिनिन्दा प्रविष्टि के आदेश दिनांक 27.04.2015 (संलग्नक–1) जो विपक्षी संख्या–2 द्वारा पारित किया गया है, जिसके विरूद्व याची द्वारा प्रस्तुत अपील दिनाक 10.06.2015 पर पारित अपीलीय आदेश दिनांक 10.09.2015 (संलग्नक–2) को निरस्त कर उसे समस्त सेवा लाभ प्रदान करें जो इन आदेशों के कारण रोके गये हैं।

(ii) अन्य कोई त्वरित व लाभकारी उपचार जो माननीय अधिकरण के विचारण के पश्चात् उचित समझे उसे भी याची के पक्ष में पारित करने एवं याचिका दाखिल करने में हुए खर्च को भी दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. संक्षेप में निर्देश याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता हिम्मत सिंह ने व्यापार कर अधिकारी के पद पर दिनांक 17.06.2000 को कार्यभार ग्रहण किया था, जिसका वर्तमान में नाम वाणिज्य कर है, उसकी पदोन्नति दिनांक 28.07.2010 को सहायक आयुक्त के पद पर हुई। याची जब वर्ष 2014 में सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर के

पद पर खण्ड–4 आजमगढ़ में तैनात था तो उसे कारण बताओ नोटिस दिनांक 09.09.2014 (संलग्नक–3) उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–10(2) के अन्तर्गत निर्गत की गयी जिसमें उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि याची जब असस्टिेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड–4, आजमगढ़ के पद पर तैनात था तब याची द्वारा सर्वश्री जनरल स्टोर चौक, आजमगढ़ के फर्म स्वामी मो0 मुर्तजा इमरान की मृत्यु के बाद फर्म स्वामी के पुत्र श्री हस्सान अहमद द्वारा प्रस्तुत फार्म–12 के आधार पर नया टिन नं0–09285103812/पंजीयन जारी किया गया था, याची का यह कृत्य वैट नियमावली के नियम–35 के विपरीत विधि अनुसार नहीं रहा है। उ0प्र0 वैट नियमावली के नियम 35 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि पंजीयन/टिन हस्तान्तरित नहीं होगा, अपतिु उत्तराधिकारी को नया पंजीयन/टिन प्राप्त करना होगा, इस प्रकार याची द्वारा विधि अनुसार कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण फर्म स्वामी की मृत्यु के बाद उनके अन्य उत्तराधिकारी को शिकायत का अवसर प्राप्त हुआ व इसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई।

3. उपरोक्त कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण याची द्वारा दिनांक 14.11.2014 (संलग्नक–4) को दिया गया। याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह कहा गया कि प्रकरण में उत्तराधिकारी श्री हस्सान अहमद के द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये थे और अन्य उत्तराधिकारियों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी थी तथा पत्रावली पर भी अन्य उत्तराधिकारियों के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। जैसे ही उसके समक्ष अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.07.2012 दिया गया, याची द्वारा तुरन्त निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु नोटिस जारी की गयी तथा उसी क्रम में याची के उत्तराधिकारी डा0 दयाशंकर, तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर, खण्ड–4, आजमगढ़ द्वारा अग्रेतर निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। इस प्रकार याची द्वारा त्वरित, समयान्तर्गत एवं बोनाफाइड मन्तव्य से कार्यवाही की गयी। इसके उपरांत भी याची के विरूद्व बिना किसी साक्ष्य के कार्यवाही करते हुए दण्डादेश दिनांक 27.04.2015 (संलग्नक–1) के द्वारा परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया जिसकी अपील उसने प्रमुख सचिव, कर निबन्धन एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत की परन्तु उन्होंने भी बिना उसके बचाव पर विचार किए उसकी अपील आदेश दिनांक 10.09.2015 (संलग्नक–2) से निरस्त कर दिया। ये दोनों आदेश सकारण और मुखरित आदेश नहीं थे, जिस कारण उसने इस अधिकरण के समक्ष उपरोक्त आदेशों को निरस्त करने हेतु यह निर्देश याचिका दाखिल किया है।

4. बचाव पक्ष विपक्षीगण की ओर से निर्देश याचिका का विरोध करते हुए कहा गया है कि याची हिम्मत सिंह द्वारा सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, खण्ड–4 आजमगढ़ के पद पर तैनाती अवधि के दौरान सर्वश्री जनरल स्टोर चौक, आजमगढ़ के फर्म स्वामी मो0 मुर्तजा इमरान की मृत्यु के बाद फर्म स्वामी के तीन पुत्रों में से

एक पुत्र श्री हस्सान अहमद द्वारा प्रस्तुत फार्म–12 के आधार पर नया टिन नं0–09285103812/पंजीयन जारी किया गया। याची का यह कृत्य वैट नियमावली के नियम–35 के विपरीत विधि अनुसार नहीं रहा है। उ0प्र0 वैट नियमावली के नियम 35 (तत्समय लागू प्रविधानानुसार) में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि पंजीयन/टिन हस्तान्तरित नहीं होगा, अपतु उत्तराधिकारी को नया पंजीयन/टिन प्राप्त करना होगा, इस प्रकार याची द्वारा विधि अनुसार कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण फर्म स्वामी की मृत्यु के बाद उनके अन्य उत्तराधिकारी को शिकायत का अवसर प्राप्त हुआ व इसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई। उपरोक्तानुसार सर्वश्री जनरल स्टोर चौक, आजमगढ़ के प्रकरण में गलत पंजीयन जारी करने व इस संबंध में याची का दोष स्पष्ट होने के कारण उ0प्र0 सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–10(2) के अन्तर्गत याची को सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्त अवसर देते हुए नोटिस दिनांक 09.09.2014 जारी की गयी जिसकी तामीली याची पर दिनांक 13.10.2014 को हुयी। उक्त नोटिस का लिखित उत्तर याची द्वारा पत्र दिनांक 14.11.2014 से मुख्यालय को प्रेषित किया गया। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर भली–भॉति विचार किया गया। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में उठाये गये प्रत्येक बिन्दु पर विचार करते हुए कहा गया है कि याची द्वारा बिना तथ्यों के समुचित जॉच किये हुये गलत ढंग से उ0प्र0 वैट अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत पंजीयन जारी/प्रभावी कर दिया गया था। याची को अनियमित कृत्य/प्रमाणित दोषों के आधार पर दिनांक 27.04.2015 को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने का सकारण और मुखरित आदेश पारित किया गया। याची ने दण्डादेश के विरूद्व प्रत्यावेदन दिनांक 10.06.2015 पर आयुक्त, वाणिज्य कर की आख्या मॉगी जो उनके पत्र दिनांक 07.08.2015 से प्राप्त हुयी। याची के प्रत्यावेदन एवं उस पर कमिश्नर, वाणिज्य कर की प्राप्त आख्या तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त् याची को दोषी पाते हुए आदेश दिनांक 10.09.2015 द्वारा मुखरित एवं सकारण आदेश पारित किया गया है। याची द्वारा प्रस्तुत समस्त तर्क एवं आधार बलहीन व सारहीन हैं तथा नियमों द्वारा रक्षणीय नहीं है। याची द्वारा मॉगे गये अनुतोष को प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है। याची की याचिका बलहीन होने के कारण सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

5. विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन के विरूद्व याची द्वारा प्रतिउत्तर शपथ–पत्र दिनांक 25.03.2016 को दाखिल किया गया है तथा याचिका में कहे गये तथ्यों की पुनरावृत्ति की गयी है।

6. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे विदित होता है कि याची द्वारा सर्वश्री जनरल स्टोर चौक, आजमगढ़ के फर्म स्वामी मो0 मुर्तजा इमरान की मृत्यु के बाद फर्म स्वामी के पुत्र श्री हस्सान अहमद द्वारा प्रस्तुत फार्म–12 के आधार पर नया टिन

नं0–09285103812/पंजीयन जारी किया गया था, याची का यह कृत्य वैट नियमावली के नियम–35 के विपरीत विधि अनुसार नहीं था, उ0प्र0 वैट नियमावली के नियम 35 के अनुसार पंजीयन/टिन हस्तान्तरित नहीं होगा, अपतु उत्तराधिकारी को नया पंजीयन/टिन प्राप्त करना होगा। इस प्रकार याची द्वारा विधि अनुसार कार्य न करने के संबंध में याची को कारण बताओ नोटिस दिनांक 09.09.2014 निर्गत कर उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। याची ने अपना स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2014 को प्रस्तुत किया, उसमें यह कहा गया कि "दिनांक 26.07.2012 को श्री सलमान अहमद एवं श्री रेहान अहमद पुत्रगण स्व0 श्री मुर्तजा इमरान मेरे समक्ष उपस्थित हुए तथा बताया कि दिनांक 12.01.2012 को उनके पिता की मृत्यु के पश्चात् उनके अनुज श्री हस्सान अहमद ने बिना उन लोगों को सूचित कये हुए धोखे से फर्म से निकालकर स्वयं फर्म का एकल स्वामित्व प्राप्त कर लिया जो गलत है। उन्होंने आगे बताया कि तीनों लोग समान रूप से वारिस हैं। उक्त से संबंधित फार्म–12 का प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.07.2012 को दिया गया है एवं आदेश फलक पर उक्त का बयान अंकित है। उक्त तथ्य संज्ञान में आते ही याची द्वारा तत्काल पंजीयन प्रमाण–पत्र निरस्तीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस संख्या–120 दिनांक 06.08.2014 हेतु जारी की गयी थी। इसी बीच उसका स्थानान्तरण असिस्टेन्ट कमिश्नर सचल दल आजमगढ़ के पद पर हो गया तथा दिनांक 04.08. 2012 को वह उक्त पद से अवमुक्त हो गया। उसके स्थानान्तरण के बाद उसके उत्तराधिकारी डा0 दयाशंकर, तत्कालीन असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड–4, आजमगढ़ द्वारा भी उसके द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.07.2014 वैट अधिनियम के अन्तर्गत को बलयुक्त पाकर और उसके द्वारा जारी नोटिस पर ही पंजीयन निरस्तीकरण की अग्रेतर कार्यवाही की गयी है।"

7. याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उपरोक्त प्रकरण में उत्तराधिकारी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये थे, उसके द्वारा अन्य उत्तराधिकारियों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी थी तथा पत्रावली पर भी इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी जिस कारण से पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी हो गया था, परन्तु जैसे ही उपरोक्त तथ्य संज्ञान में आया पंजीयन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने वाले उत्तराधिकारी को पंजीयन निरस्तीकरण के संबंध में नोटिस निर्गत की गयी, इसी मध्य याची का स्थानान्तरण हो गया, किन्तु उसके द्वारा जारी की गयी नोटिस के आधार पर ही पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। इस प्रकार याची के स्तर पर कोई लापरवाही नहीं की गयी और याची द्वारा नियमानुसार पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है अतः याची के विरूद्व पारित आदेश सकारण और मुखरित न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

8. विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याची द्वारा सर्वश्री जनरल स्टोर चौक, आजमगढ़ के फर्म स्वामी मो0 मुर्तजा

इमरान की मृत्यु के बाद फर्म स्वामी के पुत्र श्री हस्सान अहमद द्वारा प्रस्तुत फार्म–12 के आधार पर नया टिन नं0–09285103812/पंजीयन जारी किया गया था। अतः याची द्वारा बरती गयी इस लापरवाही के कारण उसे कारण बताओ नोटिस निर्गत कर एवं उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरांत उसमें उठाये गये तथ्यों पर विचार करते हुए उसे परनिन्दा की प्रविष्टि से दण्डित किया गया है जिसमें कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। अतः याची की याचिका निरस्त होने योग्य है।

9. दण्डादेश दिनांक 27.04.2015 के अवलोकन से विदित होता है कि दण्डादेश पारित करने वाले अधिकारी ने याचिकाकर्ता के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उठाये गये बिन्दु कि फर्म स्वामी मो0 मुर्तजा इमरान की मृत्यु के बाद फर्म स्वामी के पुत्र श्री हस्सान अहमद द्वारा प्रस्तुत फार्म–12 के आधार पर नया टिन नं0–09285103812/पंजीयन तथ्यों को छिपाते हुए प्राप्त कर लिया गया था, सत्य की जानकारी होने पर याची ने तुरन्त टिन नम्बर/पंजीचन प्रमाण–पत्र के निरस्तीकरण हेतु नोटिस निर्गत करते हुए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी, उसके स्थानान्तरण के उपरांत भी उसके द्वारा जारी नोटिस के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की गयी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याची द्वारा फर्म स्वामी मो0 मुर्तजा इमरान की मृत्यु के बाद फर्म स्वामी के पुत्र हस्सान अहमद के नाम फर्म स्वामी के रूप में निर्गत टिन नम्बर/पंजीयन प्रमाण–पत्र किसी दुराशय से जारी नहीं किया गया है जो एक मानवीय त्रुटि है। इस प्रकार याची द्वारा यह त्रुटि जानबूझकर नहीं की गयी थी।

10. याची की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **यूनियन आफ इण्डिया व अन्य बनाम जे0अहमद 1979, एस0सी0सी0 (एल एण्ड एस) पेज 157** में दी गयी विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है जो निम्नवत् हैः–

> **"Misconduct means, misconduct arising from ill motive, act of negligence, error of judgment or innocent mistake do not consider such misconduct."**

11. याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील के निस्तारण के पूर्व दण्डाधिकारी से कमेण्ट मॉगे गये है और उसी कमेण्ट के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए अपीलीय आदेश पारित किया गया। दण्डाधिकारी से मॉगे गये कमेण्ट की प्रति भी याची को नहीं दी गयी है जिससे वह अपना बचाव नहीं कर सका है। इस संबंध में याची के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **भाष्कर उपाध्याय बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य इलाहाबाद हाईकोर्ट रिट पिटीशन नं0–7707 आफ 1989** में दी गयी विधि व्यवस्था को उद्वत किया है जो निम्नवत् हैः–

> **Departmental Disciplinary Proceedingss—Principles of Natural Justice—A decision based on material collected at the back of the delinquent officer without affording him an**

opportunity to rebut or contradict that material would be highly unfair and violative of the principles of natural justice.

12. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी उपरोक्त विधि व्यवस्था में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि कोई भी निष्कर्ष पीड़ित पक्ष को पर्याप्त अवसर दिये बिना और उसका खण्डन करने का अवसर दिये बिना यदि आदेश पारित किया जाता है तो वह अनफेयर और प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है।

13. इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर याची के विरूद्व पारित आदेश दिनांक 27.04.2015 (संलग्नक–1) सकारण और मुखरित आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

14. उपरोक्त कारणों से अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2015 (संलग्नक–2) जो दण्डादेश को अनुवर्ती आदेश है वह भी विधिक दृष्टिकोण से निरस्त किये जाने योग्य है। तद्नुसार याचिका स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

याची की निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। दण्डादेश दिनांक 27.04. 2015 (संलग्नक–1) एवं अपीलीय आदेश दिनांक 10.09.2015 (संलग्नक–2) निरस्त किये जाते हैं। विपक्षीगण को निर्देश दिये जाते है कि वह याची के जो भी सेवा–लाभ इन आदेशों के कारण रोके गये हो उन्हें निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के 03 माह के अन्दर प्रदान किया जाये।

पक्षकार अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–
(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (न्या0)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (न्या0)

दिनांकः 05 फरवरी, 2025
एम0ए0/पी0एस0।